महायक कलक्टर
(SDO), नागौर

[illegible] राम S/o खीया राम
[illegible] राम नि० जोरावरपुरा बनाम तहसीलदार मूण्डवा

[illegible] पत्र नं. 27/18 सन 2018
128 LR Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/18	वकील प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 LR Act का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.4.18 को पेश हो।	
	महायक कलक्टर (SDO), नागौर	
	20/4/18 बकुलाय उप०। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण के सामान शीघ्र रजिस्ट्री खर्चों से पेश करावे पेश होने पर पत्रावली दिनांक 9/5/18 को पेश हो	
	महायक कलक्टर (SDO), नागौर	
18/5/18	उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ..... में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान [illegible] राजीनामा करने हेतु सहमति [illegible] पक्षकारों [illegible] राजीनामा हेतु सहमति नहीं प्रकरण न्यायालय में दिनांक 13/7/18 को पेश हों। पीठासीन अधिकारी न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट..... रीडर	
30/6/18	पत्रावली मेगा शिविर न्यायालय हाजा में पेश हुई पटवारी हल्का जोरावरपुरा ने दिनांक 18.5.18 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर लिखा कि, प्रार्थी का खातेदारी का खेत की पत्थर गढ़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी वकील को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी के खातेदारी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खेत ख०न० 43 रकबा 13 बीघा व ख०न० 44 रकबा 3.12 बीघा प्रार्थी की खातेदारी का खेत है उक्त खेत का प्रार्थी नामयोग कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थी की खातेदारी की खेत 43 रकबा 13.00 बीघा व ख०न० 44 रकबा 3.12 बीघा मौजा गिरावड़ी तहसील मूण्डवा का नामयोग कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार मूण्डवा को दिये जाते है तहसीलदार मूण्डवा को आदेशानुसार खर्चे के 1000/- एक हजार रु० तय किये जाते है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर ही देय होगे आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मूण्डवा को नकल जारी हो पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO), नागौर